न्यायालय में श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत TEN RUPEES

20रु. COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

287

...रण क्रमांक 2015–16

1

भुवनेश्वर पिता [illegible] राठौर निवासी ग्राम उमरिया थाना व तहसील जैतहरी जिला–अनूपपुर म0प्र0

निग – 1758 – II – 16 आवेदक

बनाम

द्वारिका राठौर पिता रधुवीर राठौर निवासी ग्राम उमरिया (गोरसी) थाना व तहसील जैतहरी जिला–अनूपपुर म0प्र0

.... अनावेदक

श्री ए0के0 अग्रवाल एडवोकेट
द्वारा आज दि. 2-6-2016 को
प्रस्तुत
2-6-16
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

<u>राजस्व निरीक्षक मण्डल जैतहरी जिला अनूपपुर द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक म0प्र0 39/अ12/2015–16 पारित आदेश 11.05.2016 के विरुद्ध म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण</u>

माननीय महोदय :– आवेदक नीचे लिखे अनुसार पुननीरक्षण निम्नानुसार है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u>

2-6-16
A.K. AGARWAL AJ

1. यह कि मौजा स्थित ग्राम उमरिया हल्का पटवारी ग्राम गोरसी थाना व तहसील जैतहरी जिला–अनूपपुर म0प्र0 की स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 164/3ख रकवा 0.040 अनावेदक के भूमि से आवेदक की स्थित आराजी खसरा नम्बर 165/5, 404/7, रकवा क्रमशः 0.024, 0.101 हे0 भूमि लगा हुआ भूमि है, जो अनावेदक के पूर्व दिशा में स्थित है जो आवेदक लगभग 100 वर्षो से रहायसी मकान कुआ बाडी पेड पौधा व काटेदार झाडियो से बाउडी रुधान कर काबिज दाखिल होकर निवास रत है।
2. यह कि अनावेदक द्वारा अपने भूमि स्वामी की भूमि सर्वे क्रमांक 164/3ख, 172/2, 174/3ख, 175, 176/2, 177/2ख, 199/2ख रकवा क्रमशः रकवा 0.040, 0.040, 0.024, 0.008, 0.057, 0.020, 0.061 भूमि की नक्शा तर्मीम प्रकरण क्रमां 84/अ3 2014–15 आदेश दिनांक 21.08.2015 को स्वीकृत करा लिया है। जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय जैतहरी के यहा अपील प्रकरण लंबित है जिसकी सुनवाई आगमी दिनांक 03.06.2016 को नियत किया गया है।
3. यह कि आवेदक को उक्त तर्मीम की जानकारी पहले नही थी अनावेदक द्वारा दिनांक 05.05.2016 को उक्त भूमि की सीमांकन किये जाने का राजस्व निरीक्षक मण्डल जैतहरी द्वारा सूचना पत्र दिया गया तब जानकारी हुआ कि उक्त भूमि का तर्मीम पहले हो चुका है जिसमें अनावेदक की स्थित आराजी खसरा नम्बर 164/3ख रकवा 0.040 हे0 भूमि के बिरुद्ध आवेदक अनुविभागीय अधिकारी जैतहरी के यहा अपील प्रस्तुत किया एवं उक्त दिनांक की सीमांकन के बिरुद्ध आवेदक के पुत्र खेमराज

भुवनेश्वर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1758-दो/2016 जिला अनूपपुर भुवनेश्वर विरूद्ध द्वारिका

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मंडल जैतहरी के प्रकरण क्रमांक 39/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 11-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 21.01.19 (आर.के. जैन) सदस्य	